Seventeenth Loksabha

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री संतोष कुमार गंगवार की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2604/17/20]

(3) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कर्मचारी भविष्य-निधि (संशोधन) योजना, 2020 जो 28 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 225 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) का. आ. 1513(अ) जो 18 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 320 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 2605/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2606/17/20]

(3) (एक) नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एंड म्युजियोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एंड म्युजियोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2607/17/20]

(5) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2608/17/20]

(7) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फ़ाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फ़ाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2609/17/20]

(9) (एक) नेशनल कल्चर फ़ंड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कल्चर फ़ंड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2610/17/20]

(11) (एक) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2611/17/20]

(13) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2612/17/20]

(15) (एक) ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2613/17/20]

(17) (एक) इंडियन म्यूज़ियम, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्यूज़ियम, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2614/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री संजय शामराव धोत्रे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2615/17/20]

(3) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2616/17/20]

(5) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2617/17/20]

(7) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2618/17/20]

(9) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2619/17/20]

(11) (एक) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2620/17/20]

(13) (एक) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2621/17/20]

(15) (एक) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2622/17/20]

(17) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2623/17/20]

(19) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2624/17/20]

(21) (एक) राज्य परियोजना कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), छतीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कारण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राज्य परियोजना कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), छतीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2625/17/20]

(23) (एक) हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिमला के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिमला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2626/17/20]

(25) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल एडुकेशन सोसाइटी (सर्व शिक्षा अभियान), शिमला के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश स्कूल एडुकेशन सोसाइटी (सर्व शिक्षा अभियान), शिमला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2627/17/20]

(27) (एक) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2628/17/20]

(29) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2629/17/20]

(31) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी धारवाड़, हुबली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी धारवाड़, हुबली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2630/17/20]

(33) (एक) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2631/17/20]

(35) (एक) झारखंड एडुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड एडुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2632/17/20]

(37) (एक) बिहार एडुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) बिहार एडुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2633/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) नेशनल हाउसिंग बैंक ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रैस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया 2019 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2634/17/20]

(2) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2635/17/20]

(3) (एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दीअ तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2636/17/20]

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/08 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेगुलेटरी सैंडबॉक्सस) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 17 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/10 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 3 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/22 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 17 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/23 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और खुलासा आवश्यकताएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/21 में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और कब्जा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/20 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और कब्जा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/19 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और खुलासा आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/18 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और खुलासा आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 16 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/17 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 16 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/16 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह)भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेमस्टमेंट ट्रस्ट्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 16 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/15 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और कब्जा) विनियम, 2020 जो 16 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/14 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फण्ड्स) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 6 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/07 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल एस्टेसट इन्वेस्टेमेंट ट्रस्ट्स) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/06 में प्रकाशित हुए थे ।

(पंद्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/05 में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह)भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 22 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/24 में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और खुलासा आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/24 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 2637/17/20]

(6) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.1165(अ) जो 19 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मेघालय राज्य एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में न्याधय क्षेत्र अनुप्रयोग करने के लिए अभिहित करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2638/17/20]

(7) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्न लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन)(संशोधन) नियम, 2020 जो 19 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 189(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन)(दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 485(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2639/17/20]

(8) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 14 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा)(संशोधन) विनियम, 2020 जो 28 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 2640/17/20]

(9) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 (क) के अंतर्गत भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विशेष आर्थिक क्षेत्र में बीमा कारोबार का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2020 जो 30 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 479(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दीस तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2641/17/20]

(10) साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी(तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूनाइटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मर्जर) संशोधन योजना, 2020 जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2579(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मर्जर) दूसरा संशोधन योजना, 2020 जो 31जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2580(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) ओरिएंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मर्जर) दूसरी संशोधन योजना, 2020 जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2581(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मर्जर) संशोधन योजना, 2020 जो 18 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1124(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) ओरिएंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मर्जर) संशोधन योजना, 2020 जो 18 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1125(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

[Placed in Library, See No. LT 2642/17/20]

(11) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 76 की उप-धारा (2क) के अंतर्गत भारतीय स्टाम्प (शेयर एक्सचेंजों, क्लियरिंग निगमों और निक्षेपागारों द्वारा स्टाम्प शुल्क का संग्रहण)(दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 30 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 226(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2643/17/20]

(12) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-कर्ज लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 जो 5 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4355(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2644/17/20]

(13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2019 जो 18 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 937(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2645/17/20]

(14) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्न लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.840 (अ) जो 24 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बॉम्बे. स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के अंतर्भूत कम्प्यूटर संसाधनों को एक संरक्षित प्रणाली घोषित करना है ।

(दो) का.आ.841 (अ) जो 24 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय क्लियरिंग एण्ड सेटलमेंट सिस्टम और क्लियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्भूत कम्प्यूटर संसाधनों को एक संरक्षित प्रणाली घोषित करना है।

(तीन) का.आ.842 (अ) जो 24 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ट्रेडिंग सिस्टम और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्भूत कम्प्यूटर संसाधनों को एक संरक्षित प्रणाली घोषित करना है।

(चार) का.आ.843 (अ) जो 24 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय क्लियरिंग एण्ड सेटलमेंट सिस्टम और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग लिमिटेड के अंतर्भूत कम्प्यूटर संसाधनों को एक संरक्षित प्रणाली घोषित करना है।

[Placed in Library, See No. LT 2646/17/20]

(15) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत सिक्का-निर्माण (श्री श्यामाशरण लाहिड़ी महाशय की 125वीं प्रस्थान पुण्य तिथि के अवसर पर 125 रूपये के स्मारक सिक्के का निर्गम) नियम, 2020 जो 17 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 506(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2647/17/20]

(16) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट लेनदारों के व्याक्तिगत गारंटरों के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को लागू होना) नियम, 2019 जो 15 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 855(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2648/17/20]

(18) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1034 (अ) जो 11 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय बैंककारी कंपनी, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और 6 के उपबंधों के अनुप्रयोग से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (49 का 10) की धारा 45 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की है, को छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2649/17/20]

(19) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया, बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते(संशोधन) नियम, 2020 जो 26 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 311(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सा.का.नि. 312(अ) जो 26 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(तीन) सा.का.नि. 431(अ) जो 7 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) सा.का.नि. 434(अ) जो 9 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 7 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 431(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है ।

[Placed in Library, See No. LT 2650/17/20]

(20) कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना सं. 21-सीडब्यू ए/2020 जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचित किया गया है कि 28 जून, 2020 को आयोजित संस्थान की परिषद की 325वीं बैठक में अनुशासनात्मक निदेशालय द्वारा प्राप्त किसी सूचना या शिकायत के संबंध में जांच के लिए श्री राजेन्द्र बोस, संयुक्त निदेशक को निदेशक (अनुशासन) के रूप में पदविहित किया है ।

[Placed in Library, See No. LT 2651/17/20]

(21) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अगस्त 2020 की अधिसूचना सं. आईसीएसआई सं. 1 जो 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा श्री अशोक कुमार दीक्षित, संयुक्त सचिव को 1 सितम्बर, 2020 से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के निदेशक (अनुशासन) के रूप में पदविहित किया है।

(दो) कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2020 जो 3 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 710/1(एम)/1 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 2652/17/20]

(22) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 215(अ) जो 25 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-जापान वृहद आर्थिक सहभागिता आर्थिक करार (आईजेसीईटीए) के अंतर्गत आयातित विशिष्ट वस्तुओं के संबंध में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से टेरिफ रियायत में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 246(अ) जो 9 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त विधेयक, 2020 के पारित होने के पश्चात् वित्त विधेयक, 2020 के विभिन्न उप-खंडों को वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की संबंधित धाराओं को प्रतिस्थापित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 247(अ) जो 9 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 सितम्बर, 2020 तक वेंटीलेटर्स, निजी सुरक्षा उपकरण, फेस मास्क और सर्जीकल मास्क, कोविड-19 टेस्टिंग किट्स पर और इसके विनिर्माण में काम आने वाले सभी मदों पर अधारभूत सीमाशुल्क से छूट

देना है जिससे कि इन मदों की लागत कम हो सके और कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य संस्थानों के साथ-साथ उद्योगों को भी राहत प्रदान की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 293(अ) जो 12 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-मलेशिया वृहद आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत मलेशिया में उत्पादित और वहां से निर्यातित " रिफाइंड ब्लीच्ड डियोडोराइज्ड पामोलिन और रिफाइंड ब्लीच्ड डियोडोराइज्ड पॉम ऑयल" जो कि सीमा-शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के टेरिफ मद (1511 90 10) या टेरिफ मद (1511 90 20) के अंतर्गत आयात पर 180 दिन के लिए सीमा-शुल्क की दर में जो 5 प्रतिशत की अनंतिम बढ़ोत्तरी की गई थी, उसको अभिपुष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 341(अ) जो 2 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न देशों में मूलत: कुछ उत्पादित या वहां से निर्यातित लेन्टिल (मसूर) पर और संयुक्त राज्य अमेरिका से मित्र देशों में मूलत: कुछ उत्पादित या वहां से निर्यातित लेन्टिल (मसूर) पर आयात शुल्को को कम करके क्रमश: 30 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से 30 प्रतिशत, दोनों ही मामलों में 31 अगस्त, 2020 तक करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 358(अ) जो 9 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अगरबतियों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए बॉस के आयात पर जो 10 प्रतिशत की रिआयती दर लगायी गई हैं से वापस लिया जा सके और बॉस (एचएस 1401 1000) के आयात पर 25 प्रतिशत की एक समान दर लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 398(अ) जो 23 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कुछ विशिष्टं मदों में प्रति विश्व व्यापार संगठन के प्रति वचनबद्ध "इन - कोटा टैरिफ्स" से संबंधित तरीकों और प्रविष्टियों को विनिर्दिष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 430(अ) जो 6 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत- कोरिया बृहद आर्थिक सहभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 के अंतर्गत व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर, एक द्विपक्षीय वैकल्पिक रक्षोपाय के रूप में, भारत कोरिया बृहद आर्थिक सहभागिता करार के अंतर्गत कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित और यहां आयातित "प्थैलिक एनहाइडाइड के आयात पर सीमाशुल्क की दर में 200 दिनों तक की अवधि तक वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 444(अ) जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के अनुसार भारत गणराज्य के मध्य सम्पन्न बृहद आर्थिक सहभागिता करार के अंतर्गत कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित और यहां आयातित पोलीबूटाडीन रबर पर सीमा शुल्क की बढ़ती दर संबंधी द्विपक्षीय रक्षोपाय को, मोस्ट फेवर्ड नेशन ड्यूटी अर्थात् उक्त माल पर 10 प्रतिशत तक, 200 दिनों की अवधि तक के लिए लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि. 494(अ) जो 7 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कुडनकुल्लीम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 5 और 6 की स्थापना के लिए आयातित वस्तुओं पर आधारभूत सीमाशुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह)का.आ. 719(अ) जो 14 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अंतरराष्ट्री य कीमतों पर खाद्य तेल, ब्रास स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स पर टैरिफ मूल्या के संशोधन के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) अधिसूचना सं. 15/2020-सीमाशुल्क(एनटी) जो 20 फरवरी, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) का.आ. 855(अ) जो 25 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर खाद्य तेल, ब्रास स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) का.आ. 900(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर खाद्य तेल, ब्रास स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स पर टैरिफ मूल्य के पुनर्संशोधन के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पंद्रह) अधिसूचना सं. 19/2020-सीमाशुल्क (एनटी) जो 4 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) अधिसूचना सं. 20/2020-सीमाशुल्क(एनटी) जो 5 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) अधिसूचना सं. 21/2020-सीमाशुल्क(एनटी) जो 9 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह)अधिसूचना सं. 22/2020-सीमाशुल्क(एनटी) जो 12 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस)अधिसूचना सं. 23/2020-सीमाशुल्क(एनटी) जो 13 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) का.आ. 1059(अ) जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर खाद्य तेल, ब्रास स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस)अधिसूचना सं. 25/2020-सीमाशुल्क (एनटी) जो 16 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) सा.का.नि. 306(अ) जो 21 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) सा.का.नि. 439(अ) जो 10 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 9/12-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस)सा.का.नि. 213(अ) जो 24 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. 52/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस)इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग प्रणाली के अंतर्गत नेपाल को कार्गो का ट्रांसशिपमेंट (संशोधन) विनियम, 2020 जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 484(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीएस) विशेष भाण्डागार में विनिर्माण और अन्य प्रचालन विनियम, 2020 जो 17 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 509(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताईस) भाण्डागार में विनिर्माण और अन्य प्रचालन (संख्या 2) संशोधन विनियम, 2020 जो 17 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 510(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठाईस) विशेष भाण्डागार (कस्टडी एण्ड हैण्ड्लिंग ऑफ गुड्स) संशोधन विनियम, 2020 जो 17 अगस्त , 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 511(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनतीस) सीमाशुल्क (व्यापार समझौते के अंतर्गत उद्भूत के नियमों का प्रशासन) विनियम, 2020 जो 21 अगस्त , 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 521(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीस) सा.का.नि. 277(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल और डीजल दोनों पर अतिरिक्त सीमाशुल्क के रूप में संकलित सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) में 10 रूपये प्रति लीटर से वृद्धि करके 18 रूपये प्रति लीटर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इकतीस)सा.का.नि. 547(अ) जो 7 सितम्बदर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन करना है ताकि एम-फीचर सहित कागज आधारित टग्गांट पर आधारभूत सीमाशुल्क में छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2653/17/20]

(23) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्न लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 252(अ) जो 15 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित एसीटोन के आयात पर अधिसूचना सं. 05/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 18 फरवरी, 2015 के साथ लगाये गये अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क और

सऊदी अरबिया तथा चीनी ताईपे में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित एसीटोन के आयात पर अधिसूचना सं. 13/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के साथ लगाये गये प्रतिपाटन शुल्क को 14 अक्टूबर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार-उपचार महानिदेशालय के द्वारा शुरू की गयी समीक्षा के अनुपालन में जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 302(अ) जो 19 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार-उपचार महानिदेशालय की सिफारिशों के आधार पर, चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "सोडियम साइट्रेट" के आयात पर 5 वर्ष की और अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 314(अ) जो 27 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार-उपचार महानिदेशालय की 26 मार्च, 2020 के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर, चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चायात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 330(अ) जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय थाइलैंड में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को 6 माह की और अवधि अर्थात 30 नवम्ब र, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, जारी रखना है, ऐसा व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा की जा रही सन्सेट रिव्यू जांच के परिणाम के लंबित रहने के कारण किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 344(अ) जो 3 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और कोरिया गणराज्यो में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "एएसटीएम ग्रेड 304 के स्टेनलेश स्टील के हाट रोल्ड फलैट प्रोडक्टस, इसके सभी वैएिण्ड्स" पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क को 6 माह की और अवधि अर्थात 4 दिसम्बर, 2020 तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 345(अ) जो 3 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मलेशिया में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक कैलकुलेटर (प्रिंटरयुक्त कैलकुलेटर्स, जिन्हें सामान्य तया प्रिटिंग कैलकुलेटर्स कहा जाता है: प्लाट और चार्ट तैयार करने की क्षमता

वाले कैलकुलेटर्स जिन्हें सामान्यतया ग्राफिग कैलकुलेटर्स और प्रोगामेंबल कैलकुलेटर्स कहा जाता है, को छोड़कर) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्यांख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 363(अ) जो 9 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "1-फेनाइल-3-मेथाईल-5-पाइराजोलोन" के आयात पर 6 महीने की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 364(अ) जो 9 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सिंगापुर में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "मोलीकुलर वेट 3000-4000 वाले फलेक्सिबल स्लैब स्टाक पोलियोल" के आयात पर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी 'सनसेट रिव्यूत' के अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन पांच वर्ष तक की अवधि के लिये निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि.366 (अ) जो 10 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा कराई गई सनसेट रिव्यू जांच के परिणाम लंबित रहने तक चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उद्भूत उत्पादित या वहां से निर्यातित 'नायलान टायर कोर्ड फेब्रिक' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को 6 माह की और अवधि अर्थात 11 दिसम्बर, 2020, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.397 (अ) जो 23 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं.6/4/2019-डीजीटीआर, दिनांक 21 फरवरी, 2020 के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य, वियतनाम और कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'इस्पात के फ्लैट रॉल्ड उत्पाद, जो कि एल्यूमीनियम और जिंक एलॉय से पलेटेड या कोटेड हो'' इस पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की तारीख अर्थात 15 अक्तूबर, 2019 से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.433 (अ) जो 8 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना फा.सं.7/24/2019-डीजीटीआर, दिनांक 18 जून, 2020 के अधार पर चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक'' पर इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.435(अ) जो 9 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा कराई गई समीक्षा के अनुसरण में दक्षिण अफ्रीका में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित फेनोल के आयात पर अधिसूचना सं. 32/2015 सीमाशुल्क (ए डी डी),दिनांक 10 जुलाई, 2015 के तहत लगाये गए प्रतिपाटन शुल्क को 9 जनवरी, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.459 (अ) जो 21 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा कराई गई समीक्षा के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित ''फलूओरोलास्टोमर्स (एफकेएम)पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को अगले तीन महीने तक तक अर्थात 27 अक्तूबर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, जारी रखा जा सके, और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 की पांचवी अनुसूची द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में किए गए परिवर्तन के परिणामस्वरूप, मूल अधिसूचना में उल्लिखित टैरिफ मदों को इकट्ठा करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.471 (अ) जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के टैरिफ शीर्षक 8541 40 11 या 8541 40 12 के अंतर्गत आने वाले 'मोड्यूल या पैनल में असेम्बल किए जा सकने या नहीं किया जा सकने वाले सोलर सेल' के आयात पर एक वर्ष की अवधि (30 जुलाई, 2020 से 29 जुलाई, 2021 तक) (दोनों दिन सम्मिलित) के लिए सुरक्षा शुल्क लगाने को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि.472 (अ) जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं.6/7/2019-डीजीटीआर, दिनांक 15 मई, 2020 के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान और वियतनाम में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स'' पर इस पर लगाए गए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क की तारीख, अर्थात 30 जनवरी, 2020 से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह)सा.का.नि.474(अ) जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा जारी प्राथमिक निष्कर्षों में की गई सिफारिश के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'एनिलाइन या एनिलाइन ऑयल', के आयात पर 6 महीने की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि.498(अ) जो 10 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा जारी प्राथमिक निष्कर्षों में की गई सिफारिश के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और चीनी ताइपे में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'ब्लैक टोनर' पाउडर रूप में, के आयात पर 6 महीने की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि.501 (अ) जो 11 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा कराई गई सनसेट रिव्यू जांच के परिणाम लंबित रहने तक चीन जनवादी गणराज्य और हाँगकाँग में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'फ्लेक्स फैब्रिक' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को तीन माह की और अवधि अर्थात 11 नवम्बर, 2020, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.505 (अ) जो 14 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा कराई गई समीक्षा के अनुसरण में जिससे कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित ''डिकेटोपाइरोलो पाइरोल

पिग्मेन्ट रेड 254 (डी पी पी रोड 254)'' के आयात पर लगाये गए प्रतिपाटन शुल्क को तीन महीने की अवधि अर्थात 16 नवम्बर, 2020, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि.507 (अ) जो 17 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क) की उप-धारा 5 के अनुसार अभिहित प्राधिकारी के अनुरोध पर चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित ''कास्टिक सोडा'' के आयात पर लगाये गए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क को तीन माह की और अवधि अर्थात 17 नवम्बर, 2020, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि.519 (अ) जो 21 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रतिपाटन सनसेट रिव्यू जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित ''फास्फेरिक एसिड, सभी ग्रेड के और इसके सभी सान्द्र (कृषि/उर्वरक ग्रेड समेत)'' के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि.520 (अ) जो 21 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित ''एक्रीलोनाट्राइल ब्यूटाडीन रबर'' पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को तीन माह की और अवधि अर्थात 3 दिसम्बर, 2020 तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि.544 (अ) जो 2 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा जारी प्राथमिक निष्कर्षों में की गई सिफारिश के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड', के आयात पर 6 महीने की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि.545(अ) जो 2 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित ''क्लीयर और साथ ही साथ टिंटिड किस्म (ग्रीन ग्लास के अतिरिक्त) 2 एमएम से 12 एमएम (दोनो मोटाई शामिल) मोटाई के फ्लोट ग्लास किंतु

इसमें सज्जा, औद्योगिक या ऑटोमोटिव प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त रिफलेक्टिक ग्लास, प्रोसेस्ड ग्लास शामिल नहीं है,'' के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को तीन माह की और अवधि अर्थात 7 दिसम्बर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख शामिल है, बढ़ाने के लिए दिनांक 8 सितम्बर, 2015 के 47/2015-सी.शु. में सशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2654/17/20]

(24) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 179(अ) जो 16 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विदेशी एयरलाइनों को प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण प्रस्तुत करने से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 193(अ) जो 21 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्रों के विलय के बाद इनमें करदाताओं के लिए विशेष प्रक्रिया का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 194(अ) जो 21 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजरने वाले कॉरपोरेट देनदारों के लिए विशेष प्रक्रिया का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 195(अ) जो 21 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 2/2019-केन्द्रीय कर (दर) के अन्तर्गत विशेष संरचना योजना का विकल्प न चुन सकने वाले करदाताओं के लिए 2019-20 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) सा.का.नि. 196(अ) जो 21 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों को ई-इनवॉयस जारी करने से छूट देना तथा ई-इनवॉयसिंग के कार्यान्वयन की तारीख को 1.10.2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 197(अ) जो 21 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों को डायनामिक क्यूआर कोड कैप्चर करने से छूट देना तथा क्यूआर कोड के कार्यान्वयन की तारीख को 1.10.2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 198(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त वर्ष 2018-19 से 30.06.2020 तक के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 44 के अन्तर्गत निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 199(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम का तीसरा संशोधन (2020) करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 200(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यक्तियों के उस वर्ग को निर्दिष्ट करना है जिन्हें आधार प्रमाणन से छूट दी जाएगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि. 201(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस तारीख को अधिसूचित करना है जिससे किसी व्यक्ति को पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए आधार संख्या का प्रमाणन कराना होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह)सा.का.नि. 202(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए आधार संख्या का प्रमाणन कराना होगा, व्यक्तियों के उस वर्ग को निर्दिष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा.का.नि. 203(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन करदाताओं, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में है, के लिए प्ररूप जीएसटीआर-7 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को जुलाई, 2019 से अक्टूबर, 2019 और नवम्बर, 2019 से फरवरी, 2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा.का.नि. 204(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर या जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में है, के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को अक्टूबर-दिसंबर, 2019 की तिमाही के लिए 24 मार्च, 2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा.का.नि. 205(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में है और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 1.5 करोड़ रूपये से अधिक है, के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को अक्टूबर, 2019 और नवम्बर, 2019 के लिए फरवरी से 24 मार्च, 2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 206(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में है और जिन पंजीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 1.5 करोड़ रूपये से अधिक है, के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को जुलाई, 2019 से सितम्बर, 2019 तक प्रत्येक माह के लिए 24 मार्च, 2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा.का.नि. 207(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में है, के लिए जुलाई-सितम्बर, 2019 की तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को 24 मार्च, 2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा.का.नि. 208(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में है, के लिए अक्टूबर, 2019 और नवम्बर, 2019 से फरवरी, 2020 के माह के लिए जीएसटीआर-3(ख) प्रस्तुत करने की नियत तारीख को 24 मार्च, 2020 या उससे पहले तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह)सा.का.नि. 209(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में है, के लिए जुलाई, 2019 से सितम्बर, 2019 के माह के लिए उक्त नियमों का प्ररूप जीएसटीआर-3(ख) को कॉमन पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की नियत तारीख 24 मार्च, 2020 या उससे पहले तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस)सा.का.नि. 210(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 1.5 करोड़ रूपये तक है, के लिए अप्रैल, 2020 से जून, 2020 और जुलाई, 2020 से सितम्बर, 2020 की तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) सा.का.नि. 211(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पंजीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्गों, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 1.5 करोड़ रूपये से अधिक है, द्वारा लिए अप्रैल, 2020 से सितम्बर , 2020 तक प्रत्येक माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस)सा.का.नि. 212(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-3(ख) में विवरणी तथा अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 के लिए उक्त प्ररूप प्रस्तुत करने की नियत तारीख निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) सा.का.नि. 230(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपोजिशन स्कीम के विकल्प का चयन करने की तारीख को 30.06.2020 तक और नियम 36 (4) में शर्त के संचयी रूप से लागू करने की अनुमति देने के लिए सीजीएसटी

नियमों में संशोधन (चौथा संशोधन) करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेईस) सा.का.नि. 231(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 की कर अवधि के लिए सशर्त ब्याज दर में कमी के द्वारा राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौबीस)सा.का.नि. 232(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 तक की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में देरी से विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विलम्ब शुल्क की सशर्त छूट द्वारा राहत प्रदान करना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पच्चीस)सा.का.नि. 233(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2020 से मई, 2020 की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में बाहरी विवरण प्रस्तुत करने में देरी के लिए विलम्ब शुल्क की सशर्त छूट की राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस)सा.का.नि. 234(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 को प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 7.7.2020 तक करना और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 को दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 15.7.2020 तक करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताईस)सा.का.नि. 235(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 20.03.2020 से 29.06.2020 की अवधि के दौरान किए जाने वाले अनुपालन की नियत तारीख को बढ़ाकर 30.06.2020 तक करना और ई-बिल की वैधता का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठाईस)सा.का.नि. 236(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मई, 2020 में की गई आपूर्ति के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनतीस)सा.का.नि. 266(अ) जो 28 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 87 (13) के उपबंधों तथा प्ररूप जीएसटी पीएमटी-09 को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (पॉचवा संशोधन) नियम, 2020 जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 272(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इकतीस)सा.का.नि. 273(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिवाला तथा शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजरने वाले कॉरपोरेट देनदारों के लिए विशेष प्रक्रिया में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बत्तीस) सा.का.नि. 274(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 20.03.2020 से 15.04.2020 की अवधि के दौरान समाप्त होने वाले और 24.03.2020 तक जनरेट किए गए ई-वे बिल्स की वैधता को बढ़ाकर 31.05.2020 तक करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तैंतीस) सा.का.नि. 275(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9/9ग प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2020 तक करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौंतीस) सा.का.नि. 276(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय लद्दाख में पंजीकृत करदाताओं के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख, जनवरी-मार्च, 2020 की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पैंतीस) सा.का.नि. 299(अ) जो 16 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1.07.2017 से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 में संशोधन करने के लिए वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 128 को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छत्तीस) सा.का.नि. 357(अ) जो 8 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एसएमएस द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3ख में शून्य विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियम 67क के उपबंधों को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सैतीस)सा.का.नि. 360(अ) जो 9 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पूर्ववर्ती संघराज्य क्षेत्रों दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली के विलय के कारण जीएसटी के अन्तर्गत ट्रांजिशन की तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अड़तीस)सा.का.नि. 361(अ) जो 9 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54(7) के अन्तर्गत आदेश पारित करने की अवधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनतालीस) सा.का.नि. 362(अ) जो 9 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 24.03.2020 को या उससे पूर्व जनरेट किए गए ई-वे बिल (जिनकी वैधता 20 मार्च, 2020 को या उसके बाद समाप्त हो चुकी है) से 30 जून, 2020 तक जनरेट किए गए ई-वे बिल की वैधता को आगे बढ़ाने के संबंध में दिनांक 05.05.2020 की अधिसूचना संख्या 40/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चालीस)केन्द्रीय माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2020, जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 394(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इकतालीस) सा.का.नि. 402(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30.06.2020 से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2, 109, 168 और 172 में संशोधन करने के लिए वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 118, 125, 129 और 130 को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बयालीस)केन्द्रीय माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2020, जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 403(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तैतालीस)सा.का.नि. 404(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 तक की कर अवधि के लिए निर्धारित समय के लिए ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चवालीस)सा.का.नि. 405(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत न किए जाने के लिए विलम्ब शुल्क को घटाकर/छूट देकर एक बारगी छूट प्रदान करना है तथा फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 की कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने में देरी के लिए विलम्ब शुल्क में सशर्त छूट द्वारा राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पैंतालीस) सा.का.नि. 406(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मासिक विवरण दाखिल करने वालों के लिए मार्च, 2020 से जून, 2020 के लिए तथा तिमाही आधार पर विवरण दाखिल करने वालों के लिए जनवरी, 2020 से जून, 2020 की तिमाहियों की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में आउटवॉर्ड विवरण प्रस्तुत करने में देरी के लिए विलम्ब शुल्क में छूट द्वारा राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छियालीस) सा.का.नि. 407(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 5 करोड़ रूपये तक के वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए अगस्त, 2020 में की गई आपूर्ति के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की नियत तारीख को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सैंतालीस) सा.का.नि. 416(अ) जो 27 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय “20.03.2020 से 30.08.2020” की अवधि के दौरान अनुपालन की नियत तारीख को 31.08.2020 तक बढ़ाने के लिए अधिसूचना संख्या 35/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अड़तालीस) सा.का.नि. 417(अ) जो 27 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54(7) के अन्तर्गत आदेश पारित करने की अवधि को और आगे बढ़ाकर 31.08.2020 तक करने या कुछ मामलों में तत्पश्चात् 15 दिन तक करने के लिए अधिसूचना संख्या 46/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनचास) सा.का.नि. 424(अ) जो 30 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 से जुलाई, 2020 की अवधि के लिए विलम्ब शुल्क में सशर्त छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचना संख्या 52/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पचास) केन्द्रीय माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2020, जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 426(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्यावन) सा.का.नि. 443(अ) जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 को दाखिल करने की नियत तारीख को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बावन) केन्द्रीय माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2020, जो 30 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 480 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तिरपन) सा.का.नि. 481(अ) जो 30 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई-इनवॉयस के प्रयोजन के लिए पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग में संशोधन करने के लिए अधिसूचना संख्या 13/2020-केन्द्रीय कर में सशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौवन) का.आ. 2064(अ) जो 25 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय निर्दिष्ट करदाताओं के लिए पंजीकरण रद्द किए जाने को वापस लिए जाने के लिए आवेदन दाखिल करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पचपन) केन्द्रीय माल और सेवा कर (दावां संशोधन) नियम, 2020, जो 20 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 517 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छप्पन) सा.का.नि. 527(अ) जो 25 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 01.09.2020 से सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 में संशोधन करने के लिए वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 की धारा 100 के उपबंधों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्तावन) सा.का.नि. 539(अ) जो 31 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 31.10.2020 करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठावन) सा.का.नि. 542(अ) जो 1 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय "20.03.2020 से 29.11.2020" की अवधि के दौरान धारा 171 के अन्तर्गत अनुपालन की नियत तारीख को 30.11.2020 तक बढ़ाने के लिए दिनांक 03.04.2020 की अधिसूचना संख्या 35/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनसठ) सा.का.नि. 221(अ) जो 26 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वायुयानों, वायुयान इंजनों और वायुयान के अन्य कलपुर्जो या पार्ट्स के संबंध में अनुरक्षण, मरम्मत या ऑवरहॉल सेवाओं पर सीजीएसटी दर को 9 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(साठ) सा.का.नि. 216(अ) जो 25 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2007 की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर(दर) में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2655/17/20]

(25) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 222(अ) जो 26 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि वायुयानों, वायुयान इंजनों और वायुयान के अन्य कलपुर्जो या पार्ट्स के संबंध में अनुरक्षण, मरम्मत या ऑवरहॉल सेवाओं पर आईजीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 217अ) जो 25 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 224(अ) जो 26 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 4/2019-एकीकृत कर में संशोधन करना है ताकि किसी व्यक्ति को आपूर्ति किए गए वायुयानों, वायुयान इंजनों और वायुयान के अन्य कलपुर्जो या पार्ट्स के संबंध में आगे उपयोग के लिए अथवा प्राप्तकर्ता के स्थान में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अनुरक्षण, मरम्मत या ऑवरहॉल सेवा की आपूर्ति के स्थान में बदलाव किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 242(अ) जो 08 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 की कर अवधियों के लिए ब्याज दर को सशर्त घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) सा.का.नि. 409(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30.06.2020 से आईजीएसटी अधिनियम की धारा 25 में संशोधन करने के लिए वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 134 को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 410(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी .2020 से जुलाई, 2020 की का अवधियों के लिए निर्धारित समय के लिए ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2656/17/20]

(26) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 242(अ) जो 08 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 की कर अवधियों के लिए ब्याज दर को सशर्त घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 243(अ) जो 08 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 की कर अवधियों के लिए ब्याज दर को सशर्त घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 223(अ) जो 26 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि वायुयानों, वायुयान इंजनों और वायुयान के अन्य कलपुर्जो या पार्ट्स के संबंध में अनुरक्षण, मरम्मत या ऑवरहॉल सेवाओं पर सीजीएसटी दर को 9 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 218(अ) जो 25 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) सा.का.नि. 408(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 की कर अवधियों के लिए निर्धारित समय के लिए ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2657/17/20]

(27) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 278(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्तर सीमाशुल्क (एसएईडी) में 10 रूपये प्रति लीटर से वृद्धि करके 12 रूपये प्रति लीटर और डीजल में 4 रूपये प्रति लीटर से वृद्धि करके 9 रूपये प्रति लीटर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 279(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल और डीजल दोनों पर अतिरिक्त सीमाशुल्क के रूप में संग्रहीत सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) में 10 रूपये प्रति लीटर से वृद्धि करके 18 रूपये प्रति लीटर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2658/17/20]

(28) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 की धारा 145 और 181 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 275(अ) जो 20 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 के अध्याय 6 के भाग-3 और भाग-9 की धारा 183, 184 और 185 के उपबंधों को लागू करने के लिए 20 जनवरी, 2020 को नियम किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 2659/17/20]

-

———————— –

* Available in Master copy of the Debate placed in Library.